आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 9 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 10 मई, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

निर्णयों में एकरूपता की कमी से न्यायपालिका में आम जनता की आस्था को खतरा

देश के प्रधान न्यायाधीश के बदलने से सुप्रीम कोर्ट में लम्बित उन जनहित याचिकाओं के न्यायायिक परीक्षण की दिशा ही बदल गई जिसके द्वारा उस कोहिनूर हीरे को वापस लाने की गुहार लगाइ गई थी जो लगभग 170 वर्ष पूर्व हमारे देश से ले जाया गया था ताकि वह ब्रिटिश राज परिवार की शान बढ़ा सके।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने इन जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया और यहां तक कि केन्द्रीय सरकार को पूछा कि वह कोहिनूर हरे को वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रही है। परन्तु उनके उत्तराधिकारी जे.एस.खेहर ने क्रोध में अपने हाथ ऊपर कर दिये और सभी जनहित याचिकाओं को तुच्छ मानते हुए खारिज कर दिया। कौन सही था? न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर या न्यायूर्ति खेहर?

हम इस बात का निर्णय करने के लिए नहीं हैं परन्तु याचिकाओं और जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने में परीक्षण की प्रक्रिया में तथा न्यायिक निर्णयों में एकरूपता की कमी के कारण पक्षकारों के विभागों में गंभीर संदेह पैदा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आधार कार्ड से सम्बन्धित जनहित याचिकाओं के लिए जिनकी संविधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि कुछ योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है पर अन्यथा यह स्वैच्छिक ही बना रहेगा।

कुछ ही दिन पहले प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने यह स्पष्ट किया कि आधार को सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए भी अनिवार्य नहीं किया जा सकता। परन्तु प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि आधार कार्ड को आयकर रिटर्न, मोबाइल फोन कनेक्शन तथा अन्य ऐसी ही सेवाओं के लिए अनिवार्य करने में कोई एतराज नहीं है जो कि सामाजिक कल्याण योजना में नहीं है। अभी शुक्रवार को दूसरी खण्डपीठ ने सरकार को पूछा कि वो पैन नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कैसे कर सकती है जिसको आयकर रिटर्न में भरना जरूरी है।

कुछ ही समय पहले जब एक राजनेता ने एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव एवं उनकी पत्नी के विरुद्ध और अनुपातिक संपत्तियां एकत्रित करने का आरोप लगाया था तो एक सुप्रीम कोर्ट जज की खंडपीठ ने उस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत को राजनैतिक झगड़ों को निपटाने का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए।

उसी जज ने कुछ महीने पश्चात् अपनी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले एक दूसरे राजनेता की जनहित याचिका को स्वीकार किया जिसमें उन्होंने समाजवादी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उसी तरह के आरोप लगाए थे। इस पर उस जज ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दे दिया। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह जनहित याचिका पहले वाली जनहित याचिका से कैसे अलग थी।

अपने न्यायिक विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते वक्त जजों को विधि शास्त्र के उस आधारभूत सिद्धान्त को नहीं भूलना चाहिए जो समानता न्यायिक सत्यनिष्ठता एवं न्यायसंगतता को प्रोत्साहित करता है और वह है ''एकरूपता का सिद्धान्त''। इसके अंतर्गत एक समान से पक्षकारों के मामलों को समान सा निस्तारण दिया जाता है जिससे लोगों में न्यायिक परीक्षण की पूर्वानुमेयता बनी रहे। यह न्यायिक परीक्षण एक अदालती निर्णयों की एकरूपता ही है जो न्यायपालिका में लोगों की आस्था को सींचती है और बढ़ावा देती है।

भारत में जजों को निर्णय तक पहुंचने के लिए काफी विस्तृत विवेकाधिकार उपलब्ध हैं और इसी तरह अपराधी को सजा देने में विस्तृत विवेकाधिकार उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट जो तीन परतों वाले न्यायिक तंत्र के सर्वोच्च स्थान पर आसीन है से यह उम्मीद की जाती है कि वह निर्णय तक पहुंचने के लिए अनुशासन एवं न्यायिक विवेकाधिकार के इस्तेमाल की मिशाल पेश करें।

अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने कई निर्णयों में यह माना है कि वह न्यायिक परीक्षण एवं निर्णय की प्रक्रिया में एकरूपता अपनाने में असफल रहा है। स्वामी श्रद्धानन्द के 2007 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अफसोस व्यक्त किया कि मृत्युदण्ड देने के मामलों में भी शीर्ष न्यायालय बचन सिंह (1980) एवं मची सिंह (1983) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करने में असफल रहा है।

आपराधिक न्यायिक व्यवस्था द्वारा सभी बड़े अपराधों को एक समान रूप से कारगर तरीके से निपटाने की असमर्थता तथा सजा सुनाने की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं बनाए रखने से अंतिम परिणामों में बहुत ज्यादा असन्तुलन पैदा हो जाता है। जहां एक तरफ कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें हत्या के आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा की पुष्टि करने के बाद फांसी दे दी जाती है और वहीं कई ऐसे मामले हैं जिसमें उन अपराधियों को जो समान प्रकार की हत्या या और भी अधिक जघन्य हत्या के आरोपी होते हैं, की जान बख्श दी जाती है क्योंकि अदालत द्वारा सजा देने में संगतता नहीं अपनाई जाती या उससे भी बदतर अपराधी को अपराधिक न्यायिक व्यवस्था की कमी के कारण बिना सजा के बरी कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर न्यायिक व्यवस्था की छवि काफी असंगत एवं एकतरफा हो गई है। ऐसी स्थिति गंभीर चिन्ता का विषय है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है।

खुद जजों के सिवा इसे कौन ठीक करेगा? परन्तु यह उनको कौन बता सकेगा? यदि जज का मूड खराब हो तो वह बुरा मान सकता है तथा वकील या पक्षकार को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहरा सकता है अथवा भारी जुर्माना लगा सकता है। कोई भी एकरूपता की कमी को जजों को बताने का जोखिम नहीं ले सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम है। ये व्यवस्था ठीक हो सकती थी यदि जजों ने न्यायमूर्ति रॉबर्ट एच. जेक्सन ने ब्राउन बनाम एलन के 1953 के मामले में जो कहा था उस पर ध्यान दिया होता।

उन्होंने कहा था कि जब भी एक अदालत के निर्णयों का दूसरी अदालत पुनः परीक्षण करती है तो उनमें से कुछ निर्णय उलट दिए जाते हैं। इससे यह पता लगता है कि अलग-अलग न्यायालयों में विद्यमान न्यायिक अधिकारियों की सोच में फर्क होता है परन्तु उच्चतर न्यायालय द्वारा निर्णय को उलटने का तात्पर्य बेहतर न्याय होना नहीं है। यह तो निःसन्देह सत्य है कि यदि कोई सुपर सुप्रीम कोर्ट होता तो हमारे द्वारा राज्यों के न्यायालयों के निर्णयों को उलटने के निर्णयों के एक बड़े भाग को वो उलट देता। हम अंतिम इसलिए नहीं हैं कि हमसे गलती नहीं हो सकती बल्कि हमसे गलती इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम अंतिम हैं।

सत्यमेव जयते

गलत निर्णय के लिए क्यों न हो न्यायाधीश जवाबदेह?

देश की संवैधानिक संस्थाओं में विधायिका एवं कार्यपालिका से आम आदमी का विश्वास समाप्त हो गया है और यदि कुछ उम्मीद बची है तो वह न्यायपालिका से बची है। आज न्यायपालिका के निर्णयों पर भी प्रश्न चिह्न खड़े हो रहे हैं। यदा-कदा उच्चतर न्यायालय गलत निर्णयों पर कठोर टिप्पणियां भी करते हैं किन्तु फिर भी निर्णयों में एकरूपता दिखाई नहीं देती। पीठासीन अधिकारी निर्णय करते समय कानून की जगह विशेषाधिकारों का प्रयोग अधिक करते हैं जिसमें जिसे चाहे वे जमानत दें और जिसे चाहें उसे जेल भेज दें। अधीनस्थ अदालतों के निर्णय ऊपरी अदालतों में पलट अवश्य दिए जाते हैं किन्तु गलत निर्णय देने वाले न्यायाधीश से कभी भी यह नहीं पूछा जाता कि उसने यह निर्णय किस आधार पर दिया है। अब लगातार यह मांग उठ रही है कि न्यायपालिका को भी जवाबदेह बनाया जाए और जब तक न्यायपालिका को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा तब तक निर्णयों में न तो एकरूपता आ पाएगी और न ही गलत निर्णयों पर अंकुश लग सकेगा। सत्यमेव जयते।

सम्पादकीय ....

जमानत लेने वाले जज का निलम्बन

अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गेंग रैप के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अर्जी मंजूर करने वाले पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. मिश्रा को निलम्बित कर दिया। न्यायाधीश मिश्रा ने ये जमानत आदेश अपनी सेवानिवृत्ति के दो रोज पहले स्वीकार किया था। उच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक सदस्यीय जांच कमेटी का गठन भी किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी. भौंसले ने जमानत देने वाले न्यायाधीश पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध की प्रवृत्ति को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में जमानत देने का आदेश दिया गया है।

यह पहला अवसर नहीं है जब किसी जज विशेष पर कार्यवाही की गई हो। राजस्थान में पिछले दो साल में विभिन्न आरोपों के कारण दो न्यायिक अधिकारी बर्खास्त कर दिये गये और एक डीजे स्तर के अधिकारी स्थाई होने से पहले ही सेवा विस्तार नहीं मिलने के कारण नौकरी से बाहर हो गए। राजस्थान में न्यायिक अधिकारियों को आचरण के कारण एवं शिकायतों के चलते पिछले दो दशक में कई दर्जन न्यायिक अधिकारियों को अनिवार्य या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई।

आज न्यायपालिका में एक चिन्ताजनक स्थिति बनती जा रही है जिसमें पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश के पद पर रहते हुए कानूनों की अनदेखी करते हुए और अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए चाहे जिसकी जमानत स्वीकार कर लेते हैं और चाहे जिसकी जमानत रद्द कर देते हैं। कारण स्पष्ट है कि उन्हें इस बात का भय नहीं है कि उन्हें कल किसी भी उच्च अधिकारी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता होगी। दीवानी मामलों में भी स्थगन आदेशों के मामलों में प्राय: देखा गया है कि पीठासीन अधिकारी कानून को ताक में रखकर विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए अपनी मन-मर्जी से स्थगन स्वीकार या अस्वीकार करते हैं और जब उनसे कहा जाता है कि वह यह गलत कर रहे हैं तो उनका जवाब होता है कि आपके पास अपील करने का विकल्प मौजूद है। आज समय आ गया कि न्यायपालिका को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और कानून के विपरीत आदेश पारित करने वाले पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए अन्यथा आम जन की आस्था जो केवल न्यायपालिका में बची है वह भी समाप्त हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनजीओ फंडिंग नियमन के लिए बने कानून

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की फंडिंग की लेखा परीक्षा और नियमन के लिए कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। इस कानून में डिफाल्टरों पर दीवानी और आपराधिक कार्यवाही को भी शामिल किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सरकार द्वारा तैयार मौजूदा दिशा-निर्देश को पर्याप्त और प्रभावी नहीं माना है। अदालत ने सरकार से कानून बनाने या फिर दिशा-निर्देश लेकर पूरी प्रक्रिया का नियमन करने पर राय मांगी है। मामले पर अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वकील मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। शर्मा ने एनजीओ फंडिंग में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पूरी प्रक्रिया का नियमन और डिफाल्टरों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्यवाही के लिए कानून की जरूरत है। पीठ ने केन्द्र सरकार के वकील से अगली सुनवाई से पहले सरकार से निर्देश लेने को कहा है। पीठ ने यह बताने को कहा है कि सरकार कानून बनाकर पूरी प्रक्रिया का नियमन करना चाहती है या दिशा-निर्देश से ही नियमन करा चाहती है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसके इस आदेश से डिफाल्टरों के खिलाफ होने वाली दीवानी और आपराधिक कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली काउंसलिंग को एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (कपार्ट) की ओर से कपलायंस रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इससे सरकारी फंड की अनियमितता और दुरुपयोग पर एनजीओ के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा सौंपा गया था। फंड का दुरुपयोग करने वाले 159 एनजीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। तय प्रक्रिया का पालन न करने पर 718 एनजीओ को काली सूची में रखा गया है। नियमों का पालन करने के बाद उस सूची से 15 एनजीओ के नाम हटाए गए हैं। गत 1 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के करीब 3 लाख एनजीओ का कोई लेखा-जोखा न होने और एनजीओ के नियमन का तंत्र नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। केन्द्र सरकार से 31 मार्च तक सभी एनजीओ की लेखा जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। फंड का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए एनजीओ के खिलाफ अपराधिक और दीवानी कार्यवाही का निर्देश दिया था।

सरकार से एनजीओ के नियमन, उन्हें मान्यता देने और उनकी फंडिंग के बारे में दिशा-निर्देश तय करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि एनजीओ को दिया गया फंड जनता का पैसा है। जनता के पैसे का हिसाब रखा जाना चाहिए। सीबीआई की ओर से पूर्व में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 32 लाख 97हजार एनजीओ हैं। इनमें से सिर्फ 3 लाख 7 हजार ने ही अपने खर्च का ब्यौरा सरकार को सौंपा है। शेष एनजीओ ने कोई बैलेंसशीट दाखिल नहीं की है। शीर्ष अदालत के आदेश पर केन्द्र सरकार ने एनजीओ फंडिंग नियमन के लिए दिशा-निर्देश का समग्र मसौदा तैयार कर अदालत में पेश किया। सरकार ने बताया कि दिशा-निर्देश पर मंत्रालयों को सुझाव भेजा गया है।

राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के मुद्दे पर केन्द्र से जवाब-तलब

संसद, अदालतों तथा सरकारी कार्यालयों आदि में दोनों को अनिवार्य करने की संभावना तलाशने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रगान ''जन-गण-मन'' और राष्ट्र गीत ''वन्दे मातरम्'' के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने को लेकर नीति तय किये जाने सम्बन्धी याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब-तलब किया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं वकील अश्वनी उपाध्याय की याचिका की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। न्यायालय ने संसद, विधानसभाओं, अदालतों, स्कूलों एवं कॉलेजों तथा सरकारी कार्यालयों में कार्यदिवसों को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने की संभावना तलाशने का केन्द्र सरकार को निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने देश में भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने के निर्देश देने की मांग की है। गत 17 फरवरी को पीठ ने राष्ट्रगीत को स्कूलों में अनिवार्य बनाने को लेकर बहस में पड़ने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उसने केवल राष्ट्रगान के मसले पर इस याचिका की सुनवाई जरी रखी है। शीर्ष अदालत 23 अगस्त को यह तय करेगी कि सिनेमाघरों में राष्ट्रीयगान के आदेश को वापिस लिया जाये या नहीं। केन्द्र सरकार ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तबका सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के खिलाफ है और वे मौलिक कर्त्तव्यों को निभाना नहीं चाहते।

उधर याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया है कि राष्ट्रगान को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज को लेकर ही कानून है। राष्ट्रगान को लेकर नहीं।

सबसे खतरनाक दौर में प्रेस की आजादी

पेरिस। प्रेस की आजादी को जितना खतरा आज है उतना खतरा पहले कभी नहीं था। यह बात निगरानी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बोर्डर्स ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कही है। संस्था के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पिछले साल के मुकाबले भारत तीन पायदान नीचे खिसक कर 136वें स्थान पर आ गया है।

संस्था ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से, फर्जी खबरों पर भावनात्मक रूप से बह जाने के नये दौर को लेकर आगाह किया है। रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप के चुनाव प्रचार और ब्रिटेन के ब्रेगिस्ट जनमत संग्रह की मीडिया ने ''अत्यधिक कटु'' आलोचना की। दुनियाभर में सत्तावादी ताकतों में वृद्धि हो रही है जो प्रेस की आजादी और निगरानी बढ़ा रहे हैं। प्रेस की आजादी को सीमित करने की कोशिशों पर चिन्ता जाहिर करते हुए कहा गया है, लोकतांत्रिक देशों में हालात सच्चाई से परे भावुक अपीलों, दुष्प्रचार और आजाद के दमन के दौर में हैं। लोकतांत्रिक देश सूचकांक में लगातार नीचे खिसक रहे हैं। इस गिरावट को रोकने की कोई कोशिश भी नहीं हो रही है।

रिपोर्ट में भारत को पत्रकारिता के लिए मुश्किल परिस्थिति वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे पड़ौसी देश भी इस श्रेणी में आते हैं। भारत में प्रेस की आजादी की बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हिन्दू राष्ट्रवादी राष्ट्रीय बहसों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य धारा की मीडिया में सेल्फ सेंसरशिप का चलन बढ़ा है। पत्रकारों के खिलाफ ऑन लाइन दुष्प्रचार और धमकी देने की घटनाएं भी बढ़ी हैं।

रिपोर्ट की खास बातें

- *प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नार्वे पहले और उत्तर कोरिया आखिरी स्थान पर है। बीते छह साल तक पहले पायदान पर रहा फिनलैंड तीसरे नम्बर पर पहुंच गया है।*
- *कई देशों का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में कमजोर रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका और चिली दो-दो स्थान की गिरावट के साथ क्रमश: चालीसवें, तियालीसवें और तैंतीसवें स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड आठ स्थान की गिरावट के साथ तेरहवें स्थान पर है।*
- *रूस में प्रेस की आजादी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। वह पिछले साल की तरह 148वें स्थान पर बना हुआ है। जुलाई में नाकाम तख्तापलट के बाद तुर्की की स्थिति भी भयावह हो गई है।*
- *भारत, रूस, चीन सहित 72 देशों में प्रेस की आजादी को लेकर हालात बहुत गंभीर हैं। इन देशों में मीडिया को निशाना बनाने की घटनाएं सामान्य हो गई हैं।*

सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा

'मैं ग्रीष्मावकाश में काम नहीं करूंगा'

नई दिल्ली। जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की इस पहल का खुला विरोध किया है कि, लम्बित मुकदमों के बैकलॉग को कम करने के लिये ग्रीष्मावकाश के दौरान भी मुकदमों की सुनवाई की जाये, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर ने तीनों महत्वपूर्ण संविधान पीठों का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, जो छुट्टियों के दौरान मुकदमों की सुनवाई करेंगी। ज्ञातव्य है कि चेलमेश्वर सुप्रीम कोर्ट के तीसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।

वे गत वर्ष अगस्त से ही कॉलेजियम की मीटिंगों का बहिष्कार करते आ रहे हैं, क्योंकि सीजेआई ने उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था कि कॉलेजियम की कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड रखा जाए। 5 न्यायाधीशों की कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादले करती है। संवैधानिक संकट से बचने के लिये, कॉलेजियम अब अपनी फाइलें उनके पास भेज देती है ताकि वे अपनी राय उस पर रिकॉर्ड कर सकें।

न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने सीजेआई के इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया है क वे तीन तलाक, वाट्सएप प्राइवेसी मुद्दे तथा बांग्लादेशी अप्रवासियों की नागरिकता के मुद्दों की तीन सुनवाईयों में से किसी एक की अध्यक्षता करें। उन्होंने कहा है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान उनकी कुछ निजी व्यस्तताएं पहले से तय हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चूंकि अन्य अधिकांश वरिष्ठ न्यायाधीश मुकदमों की सुनवाइयों में मौजूद रहेंगे, इसलिये यह उचित नहीं होगा कि न्यायमूर्ति चेलमेश्वर इनसे अलग रहें। किन्तु अगले वर्ष 22 जून को सेवानिवृत्त हो रहे न्यायाधीश चेलमेश्वर ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय सीजेआई सहित, सर्वोच्च न्यायालय के कुल 15 न्यायाधीश संविधान पीठों में मौजूद रहेंगे।

छुट्टियों के दौरान मुकदमों की सुनवाई किये जाने के न्यायमूर्ति खेहर के निर्णय पर एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी तथा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी आपत्ति की है। सिब्बल ने कहा है कि अधिकांश वकील अपनी छुट्टियों के कार्यक्रम काफी पहले ही बना चुके होते हैं।

रोहतगी एवं सिब्बल ने कहा कि इन तीनों मामलों को पूरा महत्व देने के बावजूद, वकीलों के लिये एकदम असंभव होगा कि वे तीन अलग-अलग मुकदमों की पैरवी एक साथ कर सकें।

किन्तु मुख्य न्यायाधीश ने उनके इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी इस योजना की जानकारी बार के सदस्यों को कई बार दे दी थी। उन्होंने साफ कह दिया कि यह ग्रीष्मकालीन योजना यथावत रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 215 के ग्रीष्मावकाश के दौरान, ''राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग'' की वैधानिकता पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अनेक बैठकें हुई थीं तथा, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर जो उस कानून का समर्थन कर रहे थे, की एकमात्र असहमति के साथ, अंततः उस वर्ष अक्टूबर में इसे रद्द कर दिया गया था। दरअसल, सरकार चाहती थी कि जज की नियुक्ति के लिये जजों की कॉलेजियम व्यवस्था का स्थान उक्त आयोग ले ले।

पांच जजों की एक बैंच 11 मई से तीन तलाक, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की स्वीकृति प्राप्त है, की वैधतापर सुनवाई करेगी। ज्ञातव्य है कि तीन तलाक व्यवस्था किसी भी मुस्लिम पुरुष को, तीन बार ''तलाक'' शब्द को बोल कर, अपनी पत्नी को तलाक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है।

मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड एवं एस.के. कौल की बैंच ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री को तीन तलाक प्रकरण में ''न्याय मित्र'' के रूप में सहयोग प्रदान करने की अनुमति देते हुए, उन्हें निर्देश दिये हैं कि वे अपना लिखित आत्म-निवेदन प्रस्तुत करें।

कई महिलाओं एवं महिला संगठनों ने कई याचिकाएं दायर करके, ''तीन तलाक'', ''निकाह-हलाला'' तथा मुस्लिमों में प्रचलित बहु विवाह प्रथा की वैधता को चुनौती दी है। इन याचिकाओं में शीर्ष अदालत से पूछा गया है कि अन्तरराष्ट्रीय समझौतों तथा रिवाजों, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं, के तहत क्या ये भारत के नैतिक दायित्व के अनुरूप है।

शुरूआती सुनवाई के दौरान केन्द्र ने, इन विवादित मुद्दों पर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए, कहा था : ''तीन तलाक'', ''निकाह-हलाला'' तथा बहुविवाह प्रथा, मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार तथा उनकी गरिमा का अतिक्रमण करते हैं तथा बहुविवाह प्रथा, मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार तथा उनकी गरिमा का अतिक्रमण करते हैं तथा ये, संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के अन्तर्गत, धर्म के अंगीकरण, आचरण एवं प्रचार-प्रसार के अधिकार द्वारा संरक्षित नहीं हैं।

पांच न्यायाधीशों की एक अन्य बैंच, बांग्लादेश से गैरकानूनी तरीके से आकर असम में बसने के सम्बन्ध में, ''नागरिकता अधिनियम'' की धारा 6 ए की वैधता पर निर्णय लेगी।

ये बैंच यह भी तय करेगी कि क्या इस तरह बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ, भारत के विरुद्ध बाहरी आक्रमण के समकक्ष नहीं है। दो गैर सरकारी संगठनों के धारा 6 ए को भेदभावपूर्ण तथा असंवैधानिक बताते हुए इसे चुनौती दी है तथा कहा है कि यह उन विदेशियों, जो 25 मार्च, 1971 तक असम में घुस आये थे, को नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति कैसे देती है, जबकि अनुच्छेद 5 तथा 6 के तहत, शेष सारे देश के लिए इसकी अंतिम तिथि19 जुलाई, 1949 है।

तीसरी बैंच उन याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जिनमें सोशल नैटवर्किंग ऐप ''वाट्सएप'' के इस निर्णय को चुनौती दी गई है कि यह ऐप, इसके लाखों यूजर्स के निजी डेटा को, उनकी सहमति लिये बिना, ''फेसबुक'' के साथ साझा करेगा। यह मुद्दा अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत ''निजता'' (प्राइवेसी) केमौलक अधिकार का उल्लंघन करता है।

जस्टिस कर्नन ने नहीं करवाई मेडिकल जांच

आर्टिकियों से सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशों की तुलना

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सी.एस. कर्नन ने उनकी मानसिक जांच करने पहुंच चिकित्सकों को बैरंग लौटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कलकत्ता पावलव अस्पताल के चार चिकित्सकों को लेकर गठित की गई मेडिकल टीम कर्नन की जांच करने राजारहाट स्थित उनके आवास स्थल पर पहुंची थी। जस्टिस कर्नन ने मेडिकल टीम को यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं।

उन्होंने संविधान की कुछ धाराओं का उल्लेख करते हुए मेडिकल टीम को समझाया कि किसी की भी मानसिक जांच उसके अभिभावकों की उपस्थिति में होती है। चूंकि उनका कोई अभिभावक मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें मेडिकल जांच कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद मेडिकल टीम वापस चली गई।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में जस्टिस कर्नन उनके खिलाफ मुकदमे पर सुनवाई को गठित सात जजों की पीठ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपने निजी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहा कि सातों जज उन 20 न्यायाधीशों से मिले हुए हैं, जिन पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर सहित सात जजों की खण्डपीठ ने उनकी मानसिक जांच का आदेश पश्चिम बंगाल के डीजीपी को दिया है। इसी तरह मेडिकल टीम उनके घर पहुंची थी। अस्पताल अपनी रिपोर्ट जल्द सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगा। चूंकि जस्टिस कर्नन ने मेडिकल जांच नहीं कराई है, इसलिए उन्होंने लिखित रूप से जो भी दिया है, उसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कर देंगे। अस्पताल प्रबंधन की ओर से अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी।

जस्टिस कर्नन ने सुप्रीम कोर्ट के सात जजों के खिलाफ जारी किया गैरजमानती वारंट

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सी.एस. कर्नन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर समेत सात जजों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस कर्नन ने स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस आयुक्त को सातों जजों पर गैर जमानती धाराएं लगाने का आदेश दें।

एक मई से सातों जजों के हाजिर होने के अपने आदेश का हवाला देकर जस्टिस कर्नन ने उनकी गैरहाजरी को इस फरमान का आधार बनाया है। जस्टिस कर्नन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रहित में आम लोगों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए जजों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ में कर्नन का उदाहरण देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता है कि वह जैंटलमैन कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे। रोहतगी के इस बयान के बाद ही जस्टिस कर्नन ने उक्त आदेश जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने कर्नन की मानसिक जांच करवाने के निर्देश पश्चिम बंगाल के डीजीपी को दिया था। उसके बाद जस्टिस कर्नन ने इन जजों की ही मानसिक जांच एम्स के चिकित्सकों से करवाने का आदेश दिल्ली पुलिस आयुक्त को दिया था। संवाददाता सम्मेलन कर उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भड़के जस्टिस कर्नन ने कहा था कि वह मेडिकल जांच नहीं करवाएंगे।

उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने उनकी मर्जी के खिलाफ मेडिकल जांच करने की कोशिश की तो वे पश्चिम बंगाल के डीजीपी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके निलम्बन का आदेश जारी कर देंगे।

अधिकारियों पर आयकर छापे, बीस करोड़ का काला धन पकड़ा

नई दिल्ली। आयकर विभाग के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ सरकारी अधिकारियों के यहां छापों में बीस करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कर विभाग ने पिछले दो दिन में इन राज्यों में चार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की। इनमें उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के देहरादून स्थित एक महाप्रबंधक भी शामिल हैं। उन पर अपने पद का कथित दुरुपयोग करने और कर चोरी के आरोप हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों के अनुसार अघोषित धन को सैंकड़ों बीघे के फार्म हाउसों में लगाया गया है और अन्य शहरों में अचल सम्पत्तियों में लगाया गया है। कर अधिकारियों ने उस अधिकारी के ठिकानों से कुछ कीमती चीजें भी पकड़ी हैं जिनमें रेंज रोजर, एक ओडी और एक बीएमडल्यू कार भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग की छापामार टीम फार्म हाउस में लगे 15 एलईडी टीवी देखकर दंग रह गई। यह फार्म हाउस उस जमीन पर बना है जिस पर एक कारखाने को बनना था। इसके अलावा इसमें एक सुसज्जित जिम, एक अतिथि गृह और निर्माणाधीन तरणताल भी पाया गया। कर अधिकारी, अधिकारी और उनके ऋषिकेष स्थित कुछ साथियों के खिलाफ कुछ करोड़ रुपये के कर चोरी मामले की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य छापे में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के स्थानीय निकाय के चेयरमैन के खिलाफ भी तलाशी अभियान चलाया गया। आयकर विभाग ने आरंभिक आंकलन के आधार पर करीब 10 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता लगाया है। अधिकारी ने बताया कि चेयरमैन के पास दो पेट्रोल पम्प और एक गैस एजेंसी है। ऐसा पाया गया कि उसने विकास के लिए मिले सरकारी अनुदानों को कथित तौर पर अपने निजी फायदे के लिए उपयोग कर रहा था।

देशद्रोह प्रकरण में जेएनयू के 30 छात्रों से होगी पूछताछ

नई दिल्ली। स्पेशल सेल ने कई महीने बाद फिर से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) देशद्रोह प्रकरण में जांच शुरू कर दी है। इस बार पूछताछ के लिए जेएनयू के 30 छात्र-छात्राओं की सूची बनाई गई है। पूछताछ में शामिल होने केलिए सभी छात्र-छात्राओं को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत नोटिस भेजा है। इन छात्र-छात्राओं से तीन दिन पूछताछ की जाएगी।

स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर उमेश बर्थवाल ने बताया कि 10 छात्र-छात्राओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोई नहीं आया। इन छात्र-छात्राओं से पूछताछ की जाएगी। जिन 30 छात्र-छात्राओं को नोटिस भेजा गयाहै उनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा की बेटी अपराजिता राजा भी शामिल हैं। अपराजिता से स्पेशल सेल पहले भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। सेल ने नोटिस संबंधी जानकारी जेएनयू के कुलपति को भी दीहै। जेएनयू प्रशासन ने इन छात्र-छात्राओं को हर हाल में पुलिस जांच में शामिल होने का निर्देश दियाहै। सेल के सूत्रों के मुताबिक यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं कीसूची बनाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि देशद्रोह प्रकरण में शामिल छात्र-छात्राओं की सेल ने पहचान कर ली है। सूत्रों की मानें तो पूछताछ के बाद सेल कुलपति को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद जेएनयू प्रशासन इन छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय से बाहर निकालने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है। जिन 30 छात्र-छात्राओं को नोटिस भेजा गया है उनमें चपल सेरपा, वाई उदयकुमार, चिन्मय महानंद, भूपाली विट्ठल मार्गे, अपराजिता राजा, पी सुरुगना यादव, श्वेता राय, चिनैया महाजन, गार्गी अधिकारी, चिन्टू कुमारी, ऋतु, सृजन, शिवानी, नितेश,सी फैयाज, शशि त्रिपाठी, सतरूपा चक्रवर्ती, शरबनी चक्रवर्ती, इशान आनंद, अर्पातिका, शेहला राशिद, जी सुरेश, मोहित, अमन सिन्हा, एन साई बालाजी,अर्पणा, शिवानी राजपूत, श्रीरूपा भट्टाचार्या, बुरहान कुरैशीव कौशिक राज शामिल हैं। इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो घटना के बाद देश छोड़ चुके हैं। गौरतलब है कि 9 फरवरी 2016 की रात जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में देशविरोधी नारे लगाए थे।

जेएनयू छात्रसंघ ने की पूछताछ की निन्दा

जेएनयू छात्रसंघ की सचिव सतरूपा चक्रवर्ती ने कहा कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। इन 30 छात्रों में कई ऐसे हैं जो कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। केवल छात्रों को परेशान किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी झूठा वीडियो चलाकर इस बाबत दुष्प्रचार किया गया था। उधर, जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष मोहित पांडेय ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है कि मुकमा में हुई नक्सली हिंसा को कुछ लोग जानबूझकर वेबसाइट पर जेएनयू से जोड़कर चला रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता सौरभ कुमार शर्मा का कहना है कि देर से ही सही दिल्ली पुलिस ने यह निर्णय तो लिया।

उत्तर प्रदेश में तोड़े जाएंगे 75 हजार अवैध निर्माण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब तक कागजों पर ही जिन 75 हजार से ज्यादा अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश हुए थे, अब उन पर बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख पर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों और आवास आयुक्त को अवैध निर्माणों पर कड़ाई से अंकुश लगाने के साथ ही उन्हें ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को 1725 अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण आदेश को अमलीजामा पहनाना है। विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषद प्रशासन के ढुलमुल रवैये से अवैध निर्माण बढ़ते ही रहे हैं। अवैध निर्माणों को रोकने-तोड़ने की अब तक न प्रभावी कार्रवाई हुई और न ही जिम्मेदार अधिकारियों-अभियंताओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए। आदेश के बावजूद अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं किए गए। ऐसे में अवैध काम्पलैक्स व अपार्टमेंट बनाने वालों के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार बहुमंजिला कॉम्पलैक्स खड़े करते जा रहे हैं। चूंकि हाल के वर्षों में तेजी से शहरों में आवासीय व व्यावसायिक परिसर की मांग बढ़ी है, इसलिए पिछली सपा सरकार के दौरान जिधर देखें उधर ही धड़ल्ले से बहुमंजिला भवन बनते रहे। ज्यादातर ऐसे कॉम्पलैक्स व अपार्टमेंट, राजनीतिक दबाव में प्राधिकरण-परिषद से या तो बिना मानचित्र पास कराए बनते रहे या फिर स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन कर बने या फिर बनाए गए हैं। पार्किंग पर दुकानें बना दी गई।

जल प्रदूषित करने पर तीन साल की सजा

नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने पर्यावरण नियमों को ताक पर रख पनीर की दुकान के माध्यम से जल प्रदूषित करने वाले एक शख्स को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2000 में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) ने तिलक बाजार स्थित हरियाणा पनीर भंडार पर छापेमारी की थी। जांच में पाया गया कि यहां मिठाई, नमकीन व अन्य खाने-पीने के सामान बनाने में इस्तेमाल पानी को शोधित किए बगैर ही सीवर में बहा दिया जाता है। ऐसा करना जल (रोकथाम और पर्यावरण) अधिनियम का उल्लंघन है।

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने आदेश में कहा है कि डीपीसीसी से जल अधिनियम के तहत मंजूरी भी नहीं ली गई थी। लिहाजा विजास बंसल को उक्त अधिनियम की धारा-24, 25 व 26 के तहत दोषी करार दिया जाता है। दोषी की तरफ से कहा गया कि उसने पहली बार अपराध किया है, ऐसे में उसे मुक्त किया जाए। डीपीसीसी ने विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी ने घटना के बाद भी सुधरने में खास रुचि नहीं दिखाई, ऐसे में वह सख्त सजा का हकदार है। न्यायाधीश ने कहा कि मामले की गंभीरता और लोगों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को देखते हुए विकास बंसल को तीन साल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है।

गायत्री को जमानत देने में निलम्बित एडीजे की जांच शुरू

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सामूहिक दुष्कर्म मामले में जमानत देने के मामले में निलम्बित एडीजे ओम प्रकाश मिश्र की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार की याचिका पर गंभीर रुख अपनाते हुए कोर्ट ने उन्हें निलम्बित कर दिया था और विभागीय जांच के निर्देश दिए थे। एडीजे ओम प्रकाश मिश्र को जीप ही रिटायर होना है इसलिए उम्मीद है कि जांच रिपोर्ट जल्दी पेश की जाए। पाक्सो की विशेष अदालत में एडीजे ओम प्रकाश मिश्र ने गत 25 अप्रैल को गायत्री प्रजापति और उनके दो साथियों की जमानत स्वीकार की थी। राज्य सरकार ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और तर्क दिया कि पूरे प्रकरण में एडीजे ने अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई है। राज्य सरकार के तथ्यों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बी भोंसले ने गंभीरता से लेते हुए कहा था कि उक्त जज रिटायर होने जा रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, वह आपत्तिजनक है। इसके बाद रात में ही एडीजे को निलम्बित कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति के निर्देश पर एडीजे ओम प्रकाश मिश्र के अधिकार पहले ही सीज कर दिए थे। सोमवार को इसकी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निबंधक डी.के. सिंह ने इस बात की पुष्टि की। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि उन्होंने सात माह पहले विशेष जज ओम प्रकाश मिश्रा के विरुद्ध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को शिकायत भेजी थी। ठाकुर का कहना है कि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह के विरुद्ध परिवाद की सुनवाई के दौरान मिश्रा पक्षपातपूर्ण आचरण करते रहे।

खरी-खरी

जीएसटी के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रभावों की संभावना

डॉ. मानचन्द खण्डेला 9462817770
E mail :
manchandkhandela.@gmail.com

भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें केन्द्र को अधिकार अधिक मिले हैं तथा उसकी सत्ता सर्वोच्च ही है। तब ही तो वित्तीय साधनों का भी तीन सूचियों- केन्द्रीय, राज्य एवं समवर्ती सूचि में बांट कर केन्द्र को ही बहुत अधिक वरीयता दी गई है। क्योंकि यहां भी समवर्ती सूचि के विषयों पर राज्य एवं केन्द्र दोनों ही कानून बना सकते हैं लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाते ही राज्य का कानून स्वत: विलोपित हो जाता है। साथ ही संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के बाद स्थानीय सरकारों (पंचायतों एवं नगर निकायों) को भी वित्तीय स्वायत्तता हेतु कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। संविधान में वित्त आयोग का गठन भी किया गया जिसे केन्द्र एवं राज्यों में वित्तीय संसाधनों के विभाजन का अधिकार दिया गया। यह सारी व्यवस्थाएं एक प्रकार से संविधान के मूल ढांचे के रूप में देखा जाता है इसी आधार पर राज्य एवं केन्द्र देश के आर्थिक के साथ ही सामाजिक, राजनैतिक शैक्षणिक आदि क्षेत्रों के विकास में बराबरी की साझेदारी आराम से निभा रहे थे। इसी कारण से अभी तक हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण, पंचायतीराज के राज्यों को अधिक केन्द्रीय सहायता, प्राकृतिक आपदा के समय चौतरफा सहायता जैसी रीति और नीति पर चलते आ रहे सके हैं। यह सारी व्यवस्था केन्द्र को वरीयता के साथ संघीय ढ़ांचे की स्वीकारोक्ति के रूप में चलती आ रही है। जो भारत में भाषा, बोली, खानपान, पहनावे, धर्म-संस्कृति, संप्रदाय, मौसम, जीवन स्तर, पेशा, व्यवसाय, व्यवहार, परम्परा, रुढ़िवादिता, श्रद्धा, विश्वास, पूजा पद्धति, पर्यावरण, राजनीति आदि की विविधताओं को देखते हुए सर्वाधिक अनुकूल व्यवस्था है।

अब जब से सम्पूर्ण देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने की परिस्थितियां बनी है। यह सारी सहज सी व्यवस्था अप्रासंगिक सी हो गई है। कहने को तो कहा जाता है कि जीएसटी के लागू होने से देश की काया ही पलट जाएगी, सकल घरेलू उत्पाद दो प्रतिशत तक बढ़ जायेगा, भ्रष्टाचार मिट जायेगा, अर्थव्यवस्था औपचारिकता की ओर लगातार बढ़ती जायेगी, सरकारों के पास गरीबों के कल्याण के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी, वाणिज्य की गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। वास्तव में क्या होगा यह सब कुछ तो भविष्य के गर्भ में है। हम तो केवल वर्तमान की वास्तविकताओं और भाषी संकेतों से निश्कर्ष निकालते हैं।

अब यह मान लेना चाहिए कि भारत में भी जीएसटी लागू होगा ही चाहे एक जुलाई 2017 से या इस साल के अंत तक। क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूर्णहोने केबाद असली बाधा तो समाप्त हो ही गई थी। अब तो केवल कुछ स्पष्टीकरणों पर राजनैतिक एवं गैर राजनैतिक आधारों पर कुछ बहस हो सकती है। फिर भी इस रास्ते को इतना आसान नहीं माना जा सकता है क्योंकि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता, नुकसान होने वाले राज्यों की दीर्घकालीन समस्या, शराब, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे गैर जीएसटी उत्पादों के सम्बन्ध में निर्णय विभिन्न पदार्थों एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले करों की दरों, पूर्व में सहमति के बावजूद कई क्षेत्रों में 18 प्रतिशत से अधिक कर निर्धारण, प्राप्त करों के राज्यों व स्थानीय सरकारों में वितरण तथा इसकी प्रक्रिया, महंगाई में वृद्धि की आम आदमी पर मार, आवश्यक उन्नत तकनीक की जरूरत के अनुरूप उपलब्धता, केन्द्र एवं राज्यों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के स्तर एवं खर्च की वहनीयता लघुतर उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के अल्प ज्ञान एवं शैक्षणिक योग्यता से उत्पन्न असुविधाओं और समस्याओं के मुद्दे तो बरकरार हैं ही क्योंकि संसार में जिन 150 के करीब देशों में जीएसटी को लागू किया गया है, उसकी तुलना में हमारी जनसंख्या की अति विशालता, अत्यधिक उन्नत एवं अविकसित राज्यों में व्यापकतर असमानता, भाषा, संस्कृति, सोच, जीवन स्तर एवं शैली, सामाजिक विकास आदि, विविधता, अंग्रेजी भाषाएं, कंप्यूटर के अधिकोष में अल्पतर ज्ञान, हर एक के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सीए पर निर्भरता की मजबूरी जैसे अनेक दृश्य एवं अदृश्य मुद्दों को हल करने की समस्या अलग से है। ऐसे में एक देश एक कर के उद्देश्य को व्यवहार में प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, जितना सरकारी पक्ष द्वारा प्रदर्शित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यहां पहला प्रश्न तो यह ही है कि जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई क्या बढ़ेगी? इसका उत्तर नहीं हो ही नहीं सकता है क्योंकि अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर वर्तमान दर से अधिक दर पर ही कर लगाया जाएगा। कुछ अपवाद भले ही हों। साथ ही ऐसी बहुत सी विशेषता ट्यूशन, पार्लर, किराया, संगीत, महंदी मंडाई, इवेंट मैनेजमेंट, भजन गायकी जैसी सैंकड़ों सेवाएं इसके दायरे में आ जाएगी। उससे महंगाई तो बढ़नी ही है। खाद्यान्न दालों, तेल आदि जीवन की अति आवश्यक वस्तुओं के संबंध में स्थिति बिलकुल स्पष्ट नहीं है जबकि प्रारंभिक एक-दो वर्षों में चाहे न सही लेकिन अंतत: तो इन पर भी कर लगना ही है। ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ती ही जानी है इसका एक कारण यह भी है कि जब अधिकाधिक वस्तुएं एवं सेवाएं कर के दायरे में लाई जानी हैं तो उसका अंतिम भार तो उपभोक्ता को ही सहन करना है। सरकार की मंशा साफ है कि अब कर दायरे में आने वाला कोई व्यक्ति बच नहीं पाएगा। जिसमें ढ़ाबे, ठेले पर चाट-पकौड़ी वाला, सामान्य सब्जी विक्रेता, बार्बर, पान वाला जैसे भी शामिल होने ही हैं तो महंगाई का बढ़ना लाजमी है। सरकार का दावा है कि इसके लागू हो जाने के बाद करदाताओं का दायरा बढ़ जाएगा करवंचना संभव नहीं होगी। बिना बिल काम हो ही नहीं पायेगा। कर वसूली मजबूती से होगी। कर विभाग कम हो जाएंगे, जुर्माना एवं सजा के प्रावधान सख्त होंगे, कर संग्रहण मशीनरी अधिक सक्रिय होगी। माने बाजार से अधिक धन सरकार के पास जायेगा तो यह अंतत: अधिक मूल के रूप में ग्राहक से ही वसूला जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी ही। सरकार के सामने यह सबसे बड़ चुनौती होगी।

राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा चाहे कुछ जा रहा हो लेकिन कर संग्रहण राशि पहले केन्द्रीय सरकार के पास जाकर प्रावधान अनुसार राज्यों को हस्तांतरित की जायेगी। यह प्रक्रिया हिसाब-किताब, तकनीक, केन्द्र की मंशा, नौकरशाही की सकारात्मक मानसिकता, गणितीय हल की त्वरितता तथा सबसे ऊपर राजनीतिक मतभेद जैसे कारणों से उतनी सफल एवं स्वभाविक हो नहीं सकती है। क्योंकि यहां अर्थशास्त्र की अन्य बातों को समान की अवधारणा को सैद्धान्तिक रूप से सही मान लिया गया है जो कभी भी हो ही नहीं सकता है। जब जीएसटी में सारे स्थानीय कर सम्मिलित हो जाने हैं तो संविधान में दी गई राज्य एवं समवर्ती सूचि का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। यह संविधान के मूल ढ़ांचे में परिवर्तन जैसा है जिसके आधार पर न्यायिक प्रश्न खड़े करके इस प्रक्रिया में बाधा भी पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि अब वित्त के क्षेत्र में तो संघीय व्यवस्था अर्थहीन हो जानी है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान संशोधन 73 व 74 को स्थानीय सरकारों को शक्तिशाली और स्वायत्त व्यवहारिक रूप से बनाने हेतु किया गया था जिसके अंतर्गत उन्हें कुछ विषयों पर कर रोपण करने और सामान्य शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल जैसी सेवाओं को चलाने के अधिकार दिए गए थे। अब यह सब कुछ विलोपित तो हो ही जाएगा बल्कि उनका अस्तित्व पूरी तरह राज्य सरकारों की दया पर निर्भर हो जायेगा। यह संघीय ढ़ांचे के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की मौलिक एवं प्रजातांत्रिक अवधारणा के विपरीत भी है।

ऐसा हो जाने से गांधी जी की विकास के प्रति मूल धारणा का विरोध होगा ही बल्कि मौद्रिक याने आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के कारण आर्थिक असमानता, जनपरक आर्थिक विकास, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण जैसे मूल आर्थिक मुद्दे जो हर लोक कल्यणकारी सरकार के होते हैं, नेपत्थ्य में चले जायेंगे। केन्द्र से राज्यों को एक साथ राशि मिलेगी। जिस पर प्लान-नॉन प्लान, केन्द्रीय राज्य परियोजना, जनजातीय क्षेत्र जैसी कोई सीमाएं नहीं होंगी। ऐसे में राज्य का उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का जनपरकता नहीं बल्कि राजनीतिक वरीयता के आधार पर उपयोग की आशंका रहेगी जो क्षेत्र शिक्षा, साक्षरता, सामान्य समझ, भाषा, कम्प्यूटर फ्रेंडली, बैंकिंग आदि की दृष्टि से पिछड़े हैं वहां के व्यापारियों के लिए व्यापारिक गतिविधियों को चलाना मुश्किल हो जायेगा। क्योंकि जहां पहले से ही कम विकास और चेतना है वे तो प्रतियोगिता में और अधिक पिछड़ जायेंगे। राज्यों के सामने सबसे बड़ी समस्या परम्परागत तरीके से राज-काज करने वाले कर्मचारियों और फास्ट ट्रेक की इस व्यवस्था के अनुरूप लाने, आम व्यापारी को जीएसटी के नियमों से अवगत करवाने, इतने व्यापक कम्प्यूटर नेटवर्क को स्थापित एवं संचालित करने, समयबद्ध तरीके से कर संग्रहण एवं क्लेम रिटर्न करने, सूचनाहीन या अल्प सूचना वाले करदाता के हितों का संरक्षण करना, केन्द्र से अपनी हिस्सेदारी समय पर प्राप्त करने, इस हेतु केन्द्र की शर्तों की पालना करते रहने, आशंकित अधिकसंख्या में होने वाले विवादों का सबकी सन्तुष्टि के स्तर तक समाधान त्वरित गति से निकालने की है। देश व राज्य में करोड़ों की जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र हैं जहां आधुनिक विकास की छाया तक नहीं पड़ी है तथा व्यापार का पुराना ही तरीका चला आ रहा है। उनके करदाताओं को नई जटिल व्यवस्था से जोड़ना आसान काम नहीं है। समस्याओं का निदान केन्द्र राज्य समन्वय, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, आवश्यक तकनीक की जरूरत वालों तक पहुंच थोथे आंकड़ों से दूरी, घोषणाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता, आर्थिक दंड के स्थान पर सरकार की सिखाने की मंशा, आवश्यक ढ़ांचागत सुविधाओं के निर्माण, आम करदाता की दृष्टि से चिन्तन, स्थानीय भाषाओं में सूचनाओं की उपलब्धता, आर्थिक केन्द्रीयकरण के लालच से मुक्ति, नौकरशाही की मनोवृत्ति में बदलाव, व्यक्तिगत जवाबदेही पर जोर, आवश्यक प्रचार की प्रोपेगेंडा नहीं बनाने की मानसिकता, सफलताओं के राग के स्थान पर उत्पन्न असुविधाओं के तत्काल हल जैसे कदमों से ही संभव है तब ही ''ऐतिहासिक सुधार'' राष्ट्रहित में आगे बढ़ाए रखा जा सकता है। देखने की बात यह भी है कि इससे केन्द्र राज्य से सम्बन्ध, स्थानीय सरकारों के अस्तित्व, राज्यों के मामलों में केन्द्र के अनावश्यक एवं राजनीति प्रभावित परोक्ष, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आम एवं खास में बढ़ते अन्तर, तकनीक की उपलब्धि व समझ की कमी से उत्पन्न परेशानियों, देश के करीब 4.5 करोड़ असहाय छोटे व्यापारियों की एडजेस्टेबिलीटी क्षमता, घरेलु औद्योगिक इकाईयों की क्षमता पर क्या व कितना प्रभाव पड़ता है। यह देखने की बात है। साथ ही केन्द्रीय सरकार के असामान्य शक्तिशाली होने से देश की राजनीति, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रभावों को भी निकट व वस्तुनिष्ठ भाव से देखते रहने की जरूरत है।

जेकेएचबीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो-टूक टिप्पणी

पत्थरबाजी रोकें फिर पैलेट गन पर लग सकती है रोक

नई दिल्ली। घाटी में पत्थरबाजों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल बंद करनेकेलिए जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (जेकेएचबीए) की ओर से दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर पुलिस और सुरक्षाबलों पर पत्थर नहीं फेंकने का आश्वासन मिले, तो वह सुरक्षा बलों को पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दे सकता है। अदालत ने याची जेकेएचबीए से पूछा कि क्या वे लिखित भरोसा दे सकते हैं कि घाटी में पत्थरबाजी नहीं होगी? भारत के प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर के पीठ ने बार एसोसिएशन से कहा कि वे संबंधित पक्षों से बात करें और अदालत को अपने विचार बताएं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कश्मीर में लोग और उनके प्रतिनिधि शांति कायम करने की पहल करते हैं, तो वह इस मामले में आगे की बातचीत करने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश देगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कश्मीरी अवाम की तरफ से विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस व सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी नहीं करने का भरोसा दिया जाए, तो वह अर्द्धसैनिक बलों व पुलिस को अगले दो हफ्तों तक पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत देगा। अदालत ने बार एसोसिएशन से हा कि अगर इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक जवाब आता है, तब ही वह फैसला लेगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जब वहां सड़कें बंद हैं और पत्थरबाजी हो रही है तो इस मुद्दे पर हम चर्चा कैसे कर सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि कश्मीर घाटी में उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए अंतिम विकल्प के तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हालत में आजादी की मांग करने वाले अलगाववादी नेताओं व समूहों से बातचीत नहीं करेगी। यह जीवन-मरण का सवाल है। रोहतगी ने अदालत से कहा कि सरकार को बातचीत करने का कोई निर्देश नहीं जारी करना चाहिए। इस पर प्रधान न्यायाधीश के पीठ ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि वे बार एसोसिएशन की ऐसे लोगों के साथ मुलाकात का इंतजाम कराएं जो कश्मीरी जनता के प्रतिनिधि के तौर पर केन्द्र सरकार से बातचीत कर सकते हैं।

अदालत ने जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि वे राज्य में मौजूदा तनाव को खत्म करने और हालात सामान्य करने के मद्देनजर ऐसे लोगों का नाम बताएं, जो कश्मीरी जनता के प्रतिनिधि के तौर पर केन्द्र सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं। जवाब में मुकुल रोहतगी ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आजादी की मांग करने वालों के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। दूसरी ओर, बार एसोसिएशन ने तर्क दिया कि केन्द्र इस बातचीत में हुर्रियत के नेताओं को भी शामिल करे और संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर बातचीत करने की शर्त छोड़ दे। इसके जवाब में केन्द्र की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह केवल उन्हीं लोगों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, जो जनता के प्रतिनिधि बनकर उनकी तरफ से सरकार के साथ विमर्श करने की कानूनी वैधता रखते हैं।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से कहा था कि वह अपना पक्ष अदालत में रखे। केन्द्र सरकार ने पैलेटगन के इस्तेमाल के पक्ष में कहा कि वह उग्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ को हटाने के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है, लेकिन हिंसा और तनाव की स्थिति में लोगों को तितर-बीतर करने के लिए आखिरी विकल्प के तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। मुकुल रोहतगी ने पत्थरबाजी कर रही भीड़ पर पैलेट गन चलाने के मामले में सरकार व सेना का बचाव करते हुए कुछ अहम मुद्दे भी कोर्ट के सामने रखे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन से कहा कि हालात सुधारने के लिए उसे इस पूरे मामले में बिना किसी का पक्ष लिए बेहद अहम भूमिका निभानी होगी। अदालत ने निर्देश देते हुए कहा था कि बार एसोसिएशन ना तो सुरक्षाबलों का पक्ष ले सकता है और ना ही उसे हिंसक पत्थरबाज भीड़ की तरफदारी करनी चाहिए। केन्द्र की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि सेना लोगों की जान लेने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि सुरक्षाबल आत्मरक्षा के अंतिम विकल्प के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं।

पहले दें गारंटी

कश्मीरी अवाम की तरफ से विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी नहीं करने का भरोसा दिया जाए,तो वह अर्द्धसैनिक बलों व पुलिस को अगले दो हफ्तों तक पैलेट गन का इस्तेमाल नहींकरने की हिदायत देगा।

पैलेट गन आखिरी विकल्प

उग्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ को हटाने के अन्य विकल्पों पर केन्द्र विचार कर रहा है, पर हिंसा और तनाव की स्थिति में लोगों को तितर-बितर करने के लिए आखिरी विकल्प के तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है।

संसद पर अपनी बुद्धिमत्ता नहीं थोप सकते : सुप्रीम कोर्ट

पैन और आइटी रिटर्न के लिए आधार अनिवार्य करने का मामला

नई दिल्ली। पैन कार्ड और आयकर रिटर्न के लिए आधार की अनिवार्यता का विरोध कर रहे लोगों से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि संसद से पारित इस कानून में अदालत क्यों दखलंदाजी करे? कोर्ट लोकसभा में बैठे 542 सांसदों की बुद्धिमत्ता पर खुद को नहीं थोप सकता। साथ ही कोर्ट ने कर चोरी की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक हकीकत है और हमारे लिए शर्मनाक है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल इसी बजट सत्र में पारित नए कानून का चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पूछा। कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर कर आयकर अधिनियम की धारा 139 एए की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। यह अधिनियम पैन कार्ड बनवाने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को अनिवार्य करता है। याचिकाओं पर लगभग दिनभर सुनवाई चली।

बहस के दौरान कोर्ट ने पूछा कि अगर एक सिस्टम को दूसरे में बदला जाता है, तो उसमें आपत्ति क्या है? इससेपहले कानून का विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह आधार को अनिवार्य नहीं करेगी। इसके बावजूद कानून बनाकर आधार को अनिवार्य कर दिया। इस पीठ ने कहा कि संसद कानून बना सकती है। संसद को कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता। ये बात ठीक है कि आधार स्वैच्छिक होना चाहिए। लेकिन, कर चोरी होती है। लोग कर नहीं देना चाहते। सरकार इसे रोकने के लिए नया कानून ला सकती है।

इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि जब मुख्य कानून में आधार अनिवार्य नहीं है तो फिर आयकर कानून में संशोधन के जरिये कैसे अनिवार्य कर सकती है? आधार को काले धन से जोड़ने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।

आयकर रिटर्न को आधार से जोड़े जाने से लोग रिटर्न नहीं भर पायेंगे। कोर्ट पहले ही अंतरिम आदेश में कह चुका है कि जब तक मामले पर अंतिम फैसला नहीं आता आधार अनिवार्य नहीं किया जायेगा।

दूसरी ओर कानून की तरफदारी करते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि नयाकानून आगे से लागू होगा। पूर्व प्रभाव से नहीं लागू होगा। देश की 99 फीसद आबादी के पास आधार है। रोहतगी ने कहा कि दुनिया में बायोमीट्रिक सिस्टम ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है, जिससे कि फर्जीवाड़ा और दोहराव रोका जा सकता है। बड़ी संख्या में फर्जी पैन कार्ड हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को लोकपाल की नियुक्ति तत्काल करने के निर्देश दिये

शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकपाल की नियुक्ति को टालना उचित नहीं है

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को लोकपाल अधिनियम पर अमल करते हुए लोकपाल की नियुक्ति तत्काल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। पीठ ने केन्द्र सरकार से कहा कि वह लोकपाल की नियुक्ति को न टाले। न्यायालय ने कहा कि लोकपाल अधिनियम अपने आप में पूर्ण कानून है और लोकपाल की नियुक्ति को टालना उचित नहीं है।

न्यायालय ने केन्द्र सरकार की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि चयन समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) को शामिल किये बिना लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं है।

न्यायालय का इशारा कानून के उस महत्वपूर्ण प्रावधान की ओर था, जिसमें यह कहा गया है कि लोकपाल या उसके सदस्य की नियुक्ति चयन समिति में खाली पदों के आधार पर रोकी नहीं जा सकती। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, एलओपी के अलावा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत न्यायाधीश होंगे। इन चारों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा एक प्रमुख न्यायविद् को भी मनोनयन के मुद्दे पर न्यायालय ने केन्द्र सरकार को सलाह दी थी कि इसके मनोनयन में मुख्य न्यायाधीश को प्राथमिकता दे। इससे पहले सरकार ने दलील दी थी कि मौजूदा सोलहवीं लोकसभा में एलओपी नहीं है और कानून के मुताबिक इसके बिना नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व कानून मंत्री शांतिभूषण ने दलील दी थी कि लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून दिसम्बर 2013 में संसद से पारित हो गया था और एक जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। उन्होंने दलील दी कि 16 जनवरी से यह कानून अस्तित्व में आ गया था, इसके बावजूद तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट को न्याय के दामन पर मंजूर नहीं है दाग

लखनऊ। निचली अदालतों में शुचिता पर विशेष निगाह रखने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट को न्यायिक क्षेत्र में किसी भी तरह का दाग मंजूर नहीं है। इसी वजह से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले जज ओमप्रकाश मिश्र के खिलाफ तत्काल कदम उठाए गए। पहले भी हाईकोर्ट न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों को गंभीरता से लेता रहा है और समय-समय पर कई जजों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हुई है।

ऐसी ही शिकायतों के आधार पर हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ के कार्यकाल में बदायूं के एडीजे ए.के. सिंह और फर्रुखाबाद के जिला जज राजन चौधरी को बिलम्बित कर दिया था। लखनऊ में हुई फुल कोर्ट में 15 न्यायिक अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कराने का आदेश पारित हुआ था। इन सभी के खिलाफ शिकायतें आने के बाद प्रशासनिक समिति ने जांच रिपोर्ट फुल कोर्ट में रखी थी। हाईकोर्ट जजों की मर्यादा को लेकर कितना संवेदनशील है, इससे लखनऊ की घटना से भी समझा जा सकता है। यहां 2012 बैच के कुछ ट्रेनी जजों पर प्रशिक्षण के दौरान एक रेस्त्रां में उपद्रव का आरोप लगा था और इनमें से 11 को फुल कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था।

आमतौर पर जजों के खिलाफ मिली शिकायतों को हाई कोर्ट सार्वजनिक नहीं करता लेकिन उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी लम्बी भी है। शिकायतों पर प्रशासनिक समिति आरोपी को निलंबित जांच का आदेश देती है। इसके बाद फुल कोर्ट में समिति के आदेश को रखा जाता है। पूरी तरह पुष्टि होने के बाद ही किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ निर्णय किए जाते हैं।

जजों के अविवेकपूर्ण फैसलों पर भी हाइकोर्ट ने कठोर कदम उठाए हैं। महोबा में कुलपहाड़ के जूनियर जज अंकित गोयल का मामला बहुत पुराना है। उन्होंने एक सपा नेता के धमकी के मामले में सीधे मुलायम सिंह यादव को तलब कर लिया था। इसके अलावा भाजपा नेता अरुण जेटली के एक बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ परिवाद दायर किया था। हाई कोर्ट ने इसे अविवेकपूर्ण मानते हुए अंकित गोयल को गिरफ्तार किया था।

सांसदों को हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला गिरफ्तार

नई दिल्ली। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शादीलाल बत्रा व गुजरात के वलसाड़ से भाजपा सांसद डॉ. के.सी. पटेल को हनी ट्रैप में फंसाकर करोड़ों रुपये की मांग करने वाली महिला को नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाना ने गिरफ्तार कर लिया। इंदिरापुरम स्थित घर से संसद मार्ग थाने लाकर उससे कई घंटे पूछताछ की गई, फिर मेडिकल कराने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

तीस हजारी कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ व सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने उसे पांच दिन की रिमांड पर लिया है। विशेष जज हिमानी मल्होत्रा के समक्ष दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे महिला के साथियों का पता लगाने व साक्ष्य जुटाने के लिए कस्टडी की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि महिला के बैंक अकाउंट की डिटेल खंगाली जा रही है। वहीं महिला का कहना है कि भाजपा सांसद ने उनके साथ दुष्कर्म किया। उसने पुलिस में शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने महिला के खिलाफ उगाही के मकसद से फंसाने, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक साजिश रचने व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिन चार धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है वे सभी गैर जमानती हैं। विशेष आयुक्त मुकेश कुमार मीणा के मुताबिक 30 वर्षीय महिला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और वही से कानून की पढ़ाई की है। वह वकालत नहीं करती लेकिन अपने फेसबुक अकाउंट पर खुद को सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता बताया है। सांसदों को ब्लैकमेल करने के लिए उसने इंदिरापुरम स्थित अपने घर में सीसी टीवी व खुफिया कैमरे लगा रखे थे। पुलिस ने उसके घर की तलाशी लेकर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि उसके घर कौन-कौन लोग आते-जाते थे। उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल की जांच की जाएगी। महिला को मुजफ्फरनगर स्थित उसके घर भी ले जाया जायेगा। उसके मोबाइल से कुछ वीडियो क्लिप भी मिले हैं। पुलिस को शक है कि वह किसी गिरोह के साथ काम करती है जिसके तार दिल्ली, गुरुग्राम व मुजफ्फरनगर से जुड़े हो सकते हैं। मीणा का कहना है कि वह पहले भी कई नेताओं को शिकार बना चुकी है। पिछले साल हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शादीलाल बत्रा को भी ब्लैकमेल करने के लिए उसने तिलक मार्ग थाने में उनके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। बाद में कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई थी।

दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को सिडनी जाने की नहीं मिली मंजूरी

नई दिल्ली। मोदी सरकार के किफायत से चलने और खर्चों में कटौती का असर जजों की विदेशी दौरों पर भी दिख रहा है। सरकारी खर्च पर जजों के विदेशी दौरों पर भी लगाम लग रही है। हाल ही में सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को कांफ्रेंस में सिडनी जाने की मंजूरी नहीं दी। सरकार का मानना है कि अदालतों में मुकदमों का ढेर लगा हो तो एक ही हाई कोर्ट के कई जज एक ही कार्यक्रम में हिस्सा लेने विदेश दौरे पर कैसे जा सकते हैं। वो भी काम के दिनों में। सरकार ने मंजूरी के वक्त खर्चे का पहलू भी देखा।

ध्यान रहे कि सरकार मंत्रियों और नौकरशाहों के उन विदेशी दौरों पर पहले ही रोक लगा चुकी है जो देश के हित में बहुत जरूरी न हों। बात ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चार-पांच न्यायाधीशों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में महिला जजों की कांफ्रेंस में जाने के लिए सरकार से इजाजत मांगी थी। दौरे के दौरान कुछ दिन ऐसे भी आ रहे थे जिसमें कोर्ट खुला था। सरकार ने अदालतों में मुकदमों के ढेर और कोर्ट के खुले होने को देखते हुए दौरे की मंजूरी नहीं दी। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि जजों के विदेशी दौरों के बारे में गाइड लाइन तय है। इसके मुताबिक आधिकारिक दौरे पर जाने के लिए सबसे पहले सम्बन्धित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति लेते समय दौरे का पूरा विवरण देना होता है। जैसे, कहां से निमंत्रण है, किसने बुलाया है, कितने दिन का कार्यक्रम है, कौन उसे आयोजित कर रहा है.... आदि। मुख्य न्यायाधीश से इजाजत लेनी पड़ती है। कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पीएमओ से मंजूरी मिलती है।

सूत्र बताते हैं कि इस मामले में एक ही कार्यक्रम में एक ही हाई कोर्ट के कई जज एक साथ विदेशी दौरे पर जा रहे थे। सरकार ने इसे औचित्यहीन माना। वैसे भी निमंत्रण किसी विद्यार्थी-संस्था से नहीं था और निमंत्रण व्यक्तिगत था। सरकार का मानना है कि जब अदालतों में मुकदमों का इतना ढेर लगा है तो फिर जजों को काम के दिन में यहां रुक कर मुकदमे निपटाने चाहिए। कोर्ट और सरकार मिलकर ऐसे बहुत उपाय कर रहे हैं जिससे वादों की संख्या में तेजी से कमी हो। एक साथ कई जजों के जाने से काम प्रभावित होगा। दूसरी बात खर्च की भी है। एक ही कार्यक्रम में कई लोगों के जाने की क्या जरूरत है।

केस निपटारे के बाद लगाई याचिका, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस निष्पादन होने के बाद भी याचिका दायर करने वाले शख्स पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस व्यक्ति ने नोएडा में अपनी जमीन के लिए शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मिले मुआवजे को चुनौती देने के लिए अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। इस मामले में पहले ही फैसला हो चुका है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एम.एम. शांतनगुदार की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। इस व्यक्ति ने अर्जी के जरिये नोएडा में प्रस्तावित उद्योग विकास के लिए अधिग्रहीत अपनी जमीन के लिए मिले मुआवजे को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज दो माह बैठे और इस मसले का समाधान किया। हमारे फैसले के बाद फिर अर्जी दायर की गई। पहले के ही सवाल दोबारा उठाए गए। यह कानून का दुरुपयोग है। यह क्या हो रहा है? हम इसका ऐसा खर्च आप पर थोपेंगे जिससे देश के लोग याद रखेंगे। इसके पहले याचिकाकर्ता रणवीर सिंह के वकील ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका गलत तरीके से खारिज कर दी। साल 2005 से 2010 के दौरान ग्रेटर नोएडा के कई गांवों में बड़े पैमाने कृषि और किसानों की आबादी वाली जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। पीठ ने कहा कि जब शीर्ष अदालत ने इस मामले पर फैसला सुना दिया है तो इसे बार-बार नहीं उठाया जा सकता है। पीठ ने पहले 25 लाख रुपये जुर्माना लगाने को सोचा था लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि गरीब किसान इतनी बड़ी राशि को वहन नहीं कर सकता है। इस पर पीठ ने कहा कि हम सब जानते हैं। क्या आप हमारे फैसले के बाद मिले मुआवजे पर टिप्पणी चाहते हैं? फैसले के बाद हर कोई करोड़पति बन गया है। पीठ ने याचिकाकर्ता को दो माह में पांच लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा कराने का निर्देश दिया।

ज्ञात हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रणवीर सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने भूमि अधिग्रहण से मिले मुआवजे को चुनौती दी थी। फिर वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए जहां अदालत ने फैसला सुनाया।

भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसना होगा आसान

हाईकोर्ट ने कहा, अधिकारी का विभाग से तबादला तो अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं

जयपुर। भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर शिकंजाकसनाअब आसान होगा। हाईकोर्ट नेकहा हैकि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अभियोजन स्वीकृतिके प्रावधान का संरक्षण उसीसमय तक मिलता है, जब तक कि उसका तबादला अन्य विभाग में नहीं हो जाता है। मुख्य सचिव को निर्देश दिया हैकि वे स्वयं मामले को देखें, ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके।

मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग व न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खण्डपीठ ने पूनमचंद भंडारी की जनहित याचिका व स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर यह आदेश दिया। न्यायाधीश एस.एस. होरा ने कहा कि प्रारंभिक जांच निर्धारित समय में पूरी होनी चाहिए। अधिकतम यह सात दिन में पूरी हो जानी चाहिए। सीबीआई मैन्युअल में जांच एक साल के भीतर पूरी करने का प्रावधान है। ऐसे में अभियोजन स्वीकृति पर हर हाल में तीन माह के भीतर निर्णय हो जाना चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि कार्मिक विभाग ने एक फरवरी 2016 को परिपत्र जारी सभी उच्चाधिकारियों से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अभियोजन स्वीकृति पर तुरन्त निर्णय करने को कहा। परिपत्र में यह भी हिदायत दी थी कि तुरन्त निर्णय किया तो अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। दो सितम्बर 2016 को मुख्य सचिव ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों को पुन: लिखा कि अभियोजन स्वीकृति के लम्बित मामलों में तत्काल कार्यवाही करने को कहा।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि किसी अधिकारी या कर्मचारी का किसी विभाग से तबादला हो जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मुख्य सचिव से लम्बित प्रकरणों का तुरन्त निस्तारण कराने को कहा है, वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कहा है कि लम्बित प्रकरणों में जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा कर सम्बन्धित कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रमुख गृह सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक व एसीबी आदेश की पालना के लिए अपने स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करे।

प्रदेश में अब तक 30 मामले अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अदालती प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनमें से 13 प्रकरण कार्मिक विभाग से जुड़े हैं, जबकि 6 शहरी विकास व स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित हैं।

दिल्ली में महज 93 स्पीड ब्रेकर हैं वैध!

नई दिल्ली। दिल्ली में केवल 93 स्पीड ब्रेकर वैध हैं। यातायात पुलिस ने हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट्ट वन्यायमूर्ति योगेश खन्ना की खंडपीठ ने इस पर हैरानी जताते हुए तीनों नगर निगमों, यातायात पुलिस, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली छावनी बोर्ड व अन्य सिविक एजेंसियों को दिल्ली की प्रत्येक सड़क का निरीक्षण कर स्पीड ब्रेकर की संख्या बताने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान यातायात पुलिस ने अदालत कोबताया किदिल्ली कीसड़कों पर 93 स्पीड ब्रेकर हैं, जो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए हैं। ये सभी इंडियन रोड कांग्रेस व यूनाइटेड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों पर खरे उतरते हैं। पुलिस की रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए अदालत ने सभी सिविक एजेंसियों को राजधानी की सड़कों पर गड्ढों, मैनहोल वस्पीड ब्रेकर के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि तीनों निगमों के मुख्य अभियंता व दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त तालमेल बनाकर स्पीड ब्रेकर की सही दिशा का पता लगाएं। हर क्षेत्र में स्थानीय निगम व पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय की जाए। वे क्षेत्र का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करें। ब्रेकर की माप, अवैध वैध होने के बारे में भी जानकारी दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। अदालत राजधानी में अवैध स्पीड ब्रेकर व उनसे होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका परसुनवाई कर रही है।

सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा पर मुकदमा दर्ज

जांच एजेंसी ने कोयला घोटाले में शिकंजा कसा

नई दिल्ली। सीबीआई ने अपने ही पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। उसने कोयला घोटाले के आरोपियों के साथ मिलीभगत कर जांच को प्रभावित करने के आरोप में सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच अधिकारियों के बताए बिना आरोपियों से मुलाकात करने और जांच को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सिन्हा के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। सीबीआई पहले ही अपने एक और पूर्व निदेशक ए.पी. सिंह के खिलाफ मांस निर्यातक मोईन कुरैशी के साथ मिलकर जांच को प्रभावित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2015 में वकील प्रशांतभूषण की शिकायत पर दिसम्बर 2012 से 2014 तक सीबीआई निदेशक रहे रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कोर्ट में सिन्हा के बंगले पर आने-जाने वाले लोगों की जानकारी से जुड़ा विजीटर रजिस्टर कोर्ट में पेश किया था, जिससे आरोपियों के साथ मुलाकात की पुष्टि होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त निदेशक एम.एल. शर्मा को इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा था। शर्मा ने भी रिपोर्ट में जांच प्रभावित करने की आशंका की पुष्टि की थी। इसके बाद इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पूरे मामले की विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर जांच करने का आदेश दिया था। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

जल्द होगी पूछताछ : एफआईआर में केवल रंजीत सिन्हा को आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13 (1)(डी) के तहत एफआईआर की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के एसपी किरण एस. को इसका जांच अधिकारी बनाया गया है। अधिकारी ने कहा कि सिन्हा को पूछताछ के लिए जल्द ही समन किया जाएगा।

आरोपियों से अकेले मिलने की वजह बतानी होगी

रंजीत सिन्हा को बताना होगा कि सामान्य मुलाकात के दौरान केस से संबंधित जांच अधिकारी को क्यों नहीं बुलाया गया और निदेशक को आरोपियों से अकेले में मिलने की क्या जरूरत थी। आरोपियों से मुलाकात के साथ सिन्हा मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के साथ संबंधों को लेकर भी घिर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने सीबीआई को मोइन कुरैशी और रंजीत सिन्हा की बातचीत का टेप सौंपा है। बताया जाता है कि इस बातचीत में सीबीआई जांच को प्रभावित करने की बात भी शामिल है।

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल
न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री डॉ.पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री रामदयाल खंडेलवाल	संस्थानिक प्रतिनिधि
7.	श्री विष्णुकांत शर्मा	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. **पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।**